न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/07/2018	11–05–2018	29–07–2019

01– धन्नालाल पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी ग्राम नंगला समावदी तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलांट

बनाम

01– सोहनलाल पुत्र मामराज जाति महाजन निवासी ग्राम जाहरखेडा तहसील व जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी गली नं0 6 मौ0 दारूकूटा, अलवर।

02– तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर जिला अलवर राजस्थान।

–रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश पट्टा सं. 106 दिनांक 16.11.1992 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर

उपस्थितः–

01–श्री शैलेन्द्र भार्गव –वकील अपीलांट

02–श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील रैस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर के आदेश दिनांक 16.11.1992 जिसके द्वारा पट्टा संख्या 106 रैस्पो0 सं. 1 को जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 0.44 है0, 339 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील अलवर में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 243 व 245 कायम किये गये थे तथा बन्दोबस्त संवत् 2020 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 112 व 126 थे। विवादित आराजी अपीलांट के पिता पन्ना पुत्र नोपा जाति चमार के कब्जे काश्त पट्टेदारी खातेदारी की आराजी थी। जिस पर अपीलांट के पिता बुजुर्गो के जमाने से शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। पन्ना की मृत्यु के बाद अपीलांट मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी तहसीलदार अलवर द्वारा अपीलांट के पिता व अन्य परिवारगण को संवत् 2013 में जर्ये पट्टा सं. 8 कबूलियत अलोट की गई थी। आरटीएक्ट लागू होने के बाद ही राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2013 से 2016 में साबिक खसरा नम्बर 126 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा तथा साबिक खसरा नम्बर 112 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर अपीलांट के पन्ना पुत्र नोपा गै0मौरूसी पट्टेदार दर्ज है। सवत् 2016 से 2020 में भी अपीलांट के पिता पन्ना पुत्र नोपा बतौर

अतिरिक्त जिला कलैक्टर

साकिन दह पट्टेदार दर्ज है तथा आराजी कस्टोडियन दर्ज है। सवत् 2020 के बाद राज्य सरकार के आदेश अनुसार खसरा गिरदावरीयों में काश्तकार का नाम दर्ज करना बन्द कर दिया गया था। तत्पश्चात् सवत् 2029–2034 में काश्तकार का पुनः दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरी सवत् 2029–2033 में अपीलांट के पिता का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है। इसके बाद पुनः खसरा गिरदावरी में काश्तकार का नाम दर्ज किया जाना बन्द कर दिया गया था। विवादित आराजी का सनद् पट्टा 106 दिनांक 16.11.1992 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर द्वारा अवैध रूप से रैस्पो0 1 के नाम जारी कर दिया गया। उक्त पट्टा देने का आदेश परमानेंट अलोटमेंट ऑफ इवेक्यू एग्रीकल्चर लैण्ड रूल्स 1963 (भू–राजस्व अधिनियम 1956) के प्रावधानो के तहत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के बुजुर्गो का नाम का इन्द्राज था। पट्टा जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वार विवादित आराजी का मुआयना नहीं किया गया। विवादित आराजी पर अपीलांट के बुजुर्गों का करीब 60–70 साल से शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी गौर नहीं किया गया कि अनुसूचित जाति के कब्जे काश्त पट्टेदारी की आराजी का किसी भी सूरत में सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय परमानेंट अलोटमेंट ऑफ इवेक्यू एग्रीकल्चर लैण्ड रूल्स 1963 जो भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत बनाये गये है, के उल्लंघन में पारित किया गया है। रेस्पो0 नॉन क्लेमेंट अथवा लोकल टीनेंट की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व एक अन्य इंतकाल सं0 322 दिनांक 15.05.1991 को भी राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से दर्ज किया तथा पूर्व में दर्ज अपीलांट के परिवारगण मांगेलाल पुत्र ऐवज जाति चमार साकिन देह गै0खातेदार पट्टेदार का नाम हटाकर विवादित आराजी को सिवायचक कस्टोडियन दर्ज किया गया। जिस इंतकाल के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.1992 की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 02.12.2013 को कुछ व्यक्ति विवादित आराजी पर आकर कहने लगे कि उक्त आराजी सोहनलाल महाजन से खरीद रहे है। जिस पर अपीलांट को राजस्व कर्मचारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि उक्त विवादित आराजी का सनद् पट्टा दिनांक 16.11.1992 को रेस्पो0 1 को दिया जा चुका है। नकल प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 09.12.2013 को सूचना प्राप्त हुई। उपरोक्त सनद् पट्टा रिकॉर्ड रूप में नहीं मिला है। तत्पश्चात् नकल दिनांक 11.12.2013 को मिली। जानकारी की तिथि 02.12.2013 से अपील प्रा0पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.1992 सनद् पट्टा सं. 106 निरस्त किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावे की वो विवादित आराजी का सनद् पट्टा नियमानुसार अपीलांट के हक में जारी करें तथा वकील अपीलांट के द्वारा प्रा0पत्र 96 सीपीसी दिनांक 28.03.2016 को पेश कर निवेदन किया है कि मौजूदा अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर आदेश दिनांक 16.11.1992 के विरूद्ध दायर की गई है। जिसके द्वारा सनद पट्टा 106 रेस्पो0 1 के हक में जारी किया गया है। विवादित आराजी अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त पट्टेदार खातेदारी की आराजी थी। राजस्व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

रिकार्ड में भी अपीलांट के पिता का नाम बतौर काश्त कार दर्ज है। खसरा गिरदावरी सवत् 2013–2016 तथा 2016–2020 में भी अपीलांट के पिता पन्ना पुत्र नोपा बतौर साकिन देह पट्टेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त खसरा गिरदावरी सवत् 2029–2034 में भी अपीलांट के पिता का नाम दर्ज है। अपीलांट एक एग्रीव्ड पर्सन है। अपीलांट कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का पट्टा अवैध रूप से रेस्पो0 1 हक में जारी कर दिया गया है। सनद् पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलांट को नहीं सुना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए अपील के साथ प्रा0पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य नहीं था। अतः प्रा0पत्र धारा 96 सीपीसी पेश निवेदन है कि प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अपील दायर करने की इजाजत प्रदान करें। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में परमानेंट अलोटमेंट ऑफ इवेक्यू एग्रीकल्चर लैण्ड रूल्स 1963, 1997 1 राज0 रिपोर्टर पेज 285, 2008 2 आरएलडब्ल्यू(आरजे) पेज 1142, 2007 आरबीजे पेज 313, 2007 आरआरडी पेज 733, 1986 आरआरडी पेज 523, 1988 आरआरडी पेज 279, 2009 1 आरआरटी पेज 113, 2015 2 आरआरटी पेज 790, 2016 2 आरआरटी पेज 971, 1987 आरबीडी पेज 2002, 1983 आरआरडी पेज 712, 1982 आरआरडी पेज 603 पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 1 ने जवाब प्रा0पत्र अपील पेश कर अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर के आदेश दिनांक 16.11.1992 जिसके द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के हक में सनद् पट्टा सं0 106 जारी किया गया है, के विरूद्ध की गई है। भारत सरकार द्वारा "The Administration of Avacuee property Act 1950, The Displaced person (Claim) Act 1950, The Evacuee interest (sapration) Act 1951, the displaced person (Claim) Supplementary Act 1954 and The Displaced Person (Compensation and rehabilitation) Act 1954" उक्त एक्ट दिनांक 06.09.2005 को रिअपील कर दिया गया है। जिस कारण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 16.11.1992 जिसके द्वारा सनद् पट्टा 106 जारी किया गया है, के विरूद्ध की गई अपील उक्त एक्ट्स के रिअपील होने के कारण संधारण योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपने अधिकारो की घोषणा हेतु साबिक खसरा नम्बर 243 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व 245 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके संवत् 2051 में हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 0.44 है0 व 339 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील अलवर द्वारा एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां बउनवान धन्नाराम बनाम सोहनलाल अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट दायर किया हुआ है। जिस कारण भी अपीलांट की अपील संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। वकील रैस्पो0 1 द्वारा दिनांक 20.01.2015 को एक प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सनद् पट्टा सं. 106 दिनांक 16.11.1992 को जारी करते समय अपीलांट पक्षकार नहीं था। ना ही अपीलांट उक्त सनद् पट्टा को रैस्पो0 1 के हक में जारी, से व्यथित पक्षकार है। अपीलांट ने अपील करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपील पेश करने की अनुमति लेने के लिये प्रा0पत्र पेश नहीं किया गया। जिस कारण अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी के अभाव में अपील संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य है तथा जवाब प्रा.पत्र 96

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

सीपीसी दिनांक 26.04.2016 पेश कर निवेदन किया कि मौजूदा अपील गलत तथ्यों पर दायर की गई है। विवादित आराजी अपीलांट के पिता पन्नालाल के कब्जे पट्टे खातेदारी की आराजी नहीं है। अपीलांट एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। पट्टा कानूनन सही जारी किया गया है। अतः प्रा0पत्र 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावें एवं वकील रैस्पो0 1 ने प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का यह अंकित करना गलत है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.1992 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। जबकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.1992 की जानकारी दिनांक 16.11.1992 जिस दिन रैस्पो0 1 के हक में सनद् पट्टा जारी किया गया था उस दिन से ही है। विवादित आराजी पर मिन रैस्पो0 1 का पूर्व से ही कब्जा काश्त है। अपीलांट का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। रैस्पो0 1 को तंग व परेशान करने की नियत से अपील पेश की गई है तथा दिनांक 02.12.2013 की घटना भी अपीलांट ने अपील को मियाद में लाने के लिये मनगढंत दर्ज की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.12.1990 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया था जिस पर अपीलांट के अंगूठा निशानी है। जिससे बखूबी साबित है कि अपीलांट को उक्त पट्टे की जानकारी पूर्व से ही है। अपीलांट का यह अंकित करना गलत है कि दिनांक 16.11.1992 से दिनांक 02.12.2013 तक का समय न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत मुजरा दिया जाना आवश्यक है। जबकि सही तथ्य यह है कि दिनांक 16.11.1992 से दिनांक 02.12.2013 का समय मुजरा नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि अपीलांट द्वारा अपील 21 साल के लम्बे अंतराल के बाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील का समय कन्डोन किये जाने का उचित कारण नहीं बताया है तथा ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है जिससे कि 21 साल की देरी को माफ किया जा सके। विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 08.12.1990 को जिस दिन हल्का पटवारी मौके पर मौका पर्चा बनाने गया था उस पर अपीलांट द्वारा अंगूठा निशानी कर रैस्पो0 1 का कब्जा काश्त बताया था। अपीलांट द्वारा एक वाद रैस्पो0 1 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां दायर किया हुआ है। विवादित आराजी के संदर्भ में एक अन्य इंतकाल सं. 322 निर्णय दिनांक 19.04.1991 के विरूद्ध अपील बउनवान मांगेलाल बनाम सरकार व सोहनलाल न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष दायर की हुई थी जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन है। विवादित आराजी के संबंध में इंतकाल सं. 14 दिनांक 02.01.1993 के विरूद्ध अपील बउनवान मांगेलाल बनाम सोहनलाल न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष दायर की थी। जो खारिज कर दी गई। जिस आदेश के विरूद्ध भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा यह अपील रैस्पो0 को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। जो अपील खारिज फरमायी जावें। वकील रेस्पो0 1 ने अपने जवाब के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 292, आरआरडी 1993 पेज 44, 232 पैरा ए, आरआरडी 1990 पेज 689, आरआरडी 2013 पेज 32, आरआरडी 2012 पेज 37, आरआरटी 2011 पेज 421, आरएलडब्ल्यू 2015 3 पेज 2313 राज0, आरआरटी 2015 पेज 168, आरआरटी 2010 2 पेज 801 राज0, आरआरडी 1999 पेज 152, आरएलआर 96 1 पेज 714, आरआरटी 2013 2 पेज 887 सुप्रीम कोर्ट, आरआरडी 2000 पेज 547 आरआरटी 2013 2 पेज 887 सुप्रीम कोर्ट, आरआरटी 2009 पेज 488, आरआरटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

2015 1 पेज 232, एआईआर 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 520, एआईआर 1970 पंजाब एण्ड हरियाणा फूल बेंच पेज 282, आरआरडी 1993 पेज 619 पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी नंगला समावदी मौका पर्चा दिनांक 08.12.1990 में विवादित आराजी पर रैस्पो0 1 सोहनलाल का कब्जा बताया गया है। जिस पर बतौर गवाह धन्नालाल पुत्र पन्ना अंगूठा निशानी दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त कार्यवाही के बारे में दिनांक 08.12.1990 से ही जानकारी थी। इसके उपरांत भी पट्टा दिनांक 16.11.1992 से दिनांक 02.12.2013 तक के लम्बे अंतराल के बारे में कोई उचित कारण नहीं बताया है तथा उक्त विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी अलवर में वाद विचाराधीन है एवं दो अन्य निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में भी विचाराधीन है। जिनमें पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चिय होना है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)